राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक,आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

कमांकः प.1/प्रति–3/न.क./नियु./न्याय/2018/ दिनांकः

आ दे श

ईजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2017 (अन्तर्गत सिविल वाद संख्या 100/2002) रमेश चन्द व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या –4 भरतपुर राजस्थान राज्य ,जिला सैशन न्यायालय भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2015 व अपर न्यायाधीश संख्या–1 भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2018 की पालना में राज्य सरकार द्वारा उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2018 के विरूद्ध आगे अपील/याचिका दायर नही करने का निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया जाकर सरकार द्वारा अपने पत्रांक प.11(7)आयु0/2018 दिनांक 18.06.2018 के द्वारा श्री रमेश चन्द पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद एवं श्री बृजकिशोर पुत्र श्री भीम सिंह को कनिष्ठ नर्स–कम्पाउण्डर पद पर नियुक्ति दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य सरकार से नियुक्ति दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप श्री रमेश चन्द पुत्र गिर्राज प्रसाद एवं श्री बृज किशोर पुत्र श्री भीम सिंह को आयुर्वेद कनिष्ठ नर्स–कम्पाउण्डर के पद पर वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 के निर्देशानुसार वेतन पे मेट्रिक्स एल–10 में कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) पर मासिक नियम पारिश्रमिक (फिक्स रेमूनरेशन) रू0 23700/– (अक्षरे रूपये तेईस हजार सात सौ मात्र) पर निम्न शर्तो पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

क.सं.	नाम आशार्थी/पिता का नाम	जन्म दिनांक	योग्यता
1	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद	20.07.1963	आयुर्वेद नर्स–कम्पाउण्डर प्रशिक्षण (डिप्लामा उतीर्ण)
2	श्री बृज किशोर पुत्र श्री भीम सिंह	15.12.1971	आयुर्वेद नर्स–कम्पाउण्डर प्रशिक्षण (डिप्लामा उतीर्ण)

नोटः–

1. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के अन्दर–अन्दर अपनी उपस्थिति निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर के कार्यालय में आवश्यक रूप से देंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नही करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
2. निदेशालय में उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता से सबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/संतान संबंधी प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एव दहेज संबंधी प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत करने होंगे।
3. अभ्यर्थी उपस्थिति के समय एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके संबंध में कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह अपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागी होगा।
4. उक्त नियुक्ति आदेश में अंकित अभ्यर्थी यदि पूर्व से विभाग मं संविदा/अनुबन्ध/ ग्रामीण नर्स–कम्पाउण्डर के रूप में सेवाएं दे रहा है तो उक्त नियुक्ति आदेश के कम में ड्यूटी जोईन करने पर उनका संविदा/अनुबन्ध/ग्रामीण नर्स–कम्पा0 के पद के आदेश तुरन्त प्रभाव से समाप्त माना जावेगा।
5. विभागान्तर्गत ग्रामीण आयुर्वेद नर्स–कम्पा0 अथवा परिचारक के पद की सेवाओं के अतिरिक्त अन्यत्र सेवाएं दे रह कार्मिक को उक्त नियुक्ति आदेश के कम में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपना त्याग पत्र स्वीकृत कराकर प्रस्तुत करना होगा।
6. उक्त नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी।
7. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी को को वित्त विभग की अधिसूचना कमांक प.1(2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.14(1)एफडी/रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियम पारिश्रमिक दिया जावेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

//

(स्नेहलता पंवार)

निदेशक

माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में [illegible] कर्मी कम्पा० के नियुक्ति आदेश जारी करने के [illegible]

क्रमांकः प.1 / प्रति–3 / न.क. / नियु. / न्याय / 2018 / 9809-15 दिनांकः 22-06-18

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग,राजस्थान–जयपुर
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक,आयुर्वेद निदेशालय,अजमेर
3. उप विधि परामर्शी, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
4. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें
5. संबंधित अभ्यर्थी श्री रमेश चन्द पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तह0 नदबई जिला भरतपुर
6. संबंधित अभ्यर्थी श्री बृजकिशोर पुत्र श्री भीम सिंह जाति ब्राह्मण निवासी सुन्दरावली तह0नगर जिला भरतपुर
7. सामान्य पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक(आयु.)